

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये।
02 06/25	<p>फगावली झाप पेय डर, बहुलाय फीकेत उपण वहिल वारी ने डर रिपोर्ट की बाबत आपत्ति पत्र की, फगावली वास्ते जबाब डा फा डिग्रेड 11/02/25 की पेय छ।</p>	
2 11/25	<p>सीकरी अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है, अतः फगावली पूर्वानुसार दिनांक 11.11.25 को पेश हो।</p>	
02 17/25	<p>फगावली झाप पेय डर, बहुलाय फीकेत उपण वहिल वारी (अडापी) ने आपत्ति डा फा का जबाब पेय किया. डा फा की बाबत लहस हुनी गई. वहिल डापी ने उपन किया कि परिवारी हलका डाग मनमपी से विभाषन प्रस्ताव हैपाट कट रहसीलडाट सीकरी से कडण्ट हस्ताक्षर कराये गये हैं अतः डा विभाषन प्रस्ताव - स्वीकार योग्य नहीं है अतः उनः विभाषन प्रस्ताव भंगीये जावे। जबाब मे वहिल वारी - (अडापी) ने उपन किया कि रहसीलडाट सीकरी डाग वारीगण एवं परिवारीगण के कल्पे कष्ट के अडुताट विभाषन प्रस्ताव पेय किये गये हैं अिन पट उभय पक्ष के हस्ताक्षर हैं अतः आपत्ति खारिज की जावे। उभय पक्ष के आमि भाषको की वरत पट मनन किया गया व फगावली, विभाषन प्रस्ताव</p>	

अधिकारी
(डीग) राज०

11/25

पेय

का

ड

सी

अ०

डिन उप०

क

सहकारी

बनाम

अमल-चौ

वर्ग

किस्म मुकदमा.....

३(अ)

मिसल नंबर.....

५६९/२५

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय

नंबर व
जो इस
में

का अवलोकन करने पर पाया कि सहकारी संस्था
की वकील डा. वसुन्त विभाजन पत्राव पर वारीगण
व प्रति सं. १, ३, ५. के हस्ताक्षर हैं अतः -
प्राप्ति की आपत्ति खारिज की जाती है।

उभय पक्ष के अभिभावकों की वरत का
मूल-वाद सुनी गई, वरत पर मनन किया
गया व फावली का अवलोकन करने पर
आदेश है कि डा. वारीगण मुलाधिक विभाजन
पत्राव सहकारी संस्था की लिखा जा रहा
है, विलुप्त निर्णय प्रकृत में लिखा जा रहा
शाखिल फावली किया गया व सुले न्यायालय
में सुनाया गया, प्रकरण में विभाजन पत्राव
के अंतर्गत अलग-अलग खाल व अलग-
अलग लगान कायम की जावे। फावली
केवल सुभाट खेक शाखिल खेक है।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०